अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 81 / 2007

रूप नारायण चौधुर

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा मढौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04 2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 431 / आ0 दिनांक 30.07.07 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला से प्राप्त शिकायत पत्र की जॉच हेतु दिनांक 14.06.07 को जॉच दल के द्वारा रूप नारायध चौधुर जन वितरण प्रणाली विकेता अनुज्ञप्ति सं0 1 / 93 ग्राम धोधीयॉ पंचायत गंगौली की दूकान की जॉच की गई। जॉच दल विकेता की दूकान पर 1.00 बजे दिन मे पहुँचा। जॉच के कम में निम्नलिखित अनियामतताएँ पाई गई– 1. जॉच के समय विकेता की दूकान बन्द थी, तथा विकेता अनुपस्थित थे। 2. विकेता के दिवाल पर एक लकड़ी का एक–एक फिट साईज का बोर्ड टॉगा था जिसपर नाम, पता, लाइसेन्स नं0 के साथ दिनांक 14.06.07 की तिथि में अन्त्योदय गेहूँ 3 क्विटल तथा चावल 6 क्विटल अंकित था। आभेयुदित में लिखा हुआ था कि वे मशरख जा रहे है। 3. विकेता की दूकान से संबंधित कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा उन्हे पिछले माह में किसी को 3 लीटर किरासन तेल और किसी को 4 लीटर किरासन तेल दिया गया है। 4. विकेता के अनुपस्थित रहने के कारण भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं कैश मेमों की जॉच नहीं की जा सकी। अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, के ज्ञापांक 344 / आ0 दिनांक 06.07.07 के द्वारा उक्त अनियमितताओं के लिए विकेता से कारण पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर विकेता की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 431 / आ0 दिनांक 30.07.07 के द्वारा रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध विकेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है।	

Supply appeal judgement 81-2007 Rup narayan chaudhar

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विक्रेता के द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित उपभोक्ताओं के बीच किया जाता है। कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा पुरानी दुश्मनी की वजह से विक्रेता के विरूद्ध गलत बयान दिया गया हैं। विक्रेता के द्वारा किसी भी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब सही प्रतीत नहीं होता है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना उचित होगा।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पूरी तरह से असंतोषजनक है। निर्धारित कार्य अवधि में उनकी दूकान क्यों बन्द थी, इस बिन्दु पर उनके द्वारा कोई भी कारण का उल्लेख अपने जवाब में नही किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा की गई शिकायतों का भी जवाब संतोषजनक तरीके से नहीं दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश (431/30.07.07 के द्वारा संसूचित) एक मुखर आदेश (Speaking order) है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता मै महसूस नहीं करता हूँ। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखा जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 26.09.07 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 256 / न्यायालय, दिनांक 17/4/15

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

Supply appeal Judgement 81-2007 Rup narayan chaudhar

17/4/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण